न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या 61/2018 एल.आर.एक्ट

सरोज पत्नी सोहनलाल जाति जाट निवासी 8 एस0के0एम0 तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर ।

अपीलान्ट्स

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व, घड़साना जिला श्रीगंगानगर ।

रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः 1– श्री हरिराम बिश्नोई, अभिभाषक अपीलान्ट
2– सुभाष सहू, राजकीय अभिभाषक ।

निर्णय

दिनांक 4.2.2019

1. यह प्रथम अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम् 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, घड़साना के आदेश दिनांक 27.11.17, जिसके द्वारा प्रकरण सं0 226/2017 अनवान सरकार बनाम सरोज में चक 4 एसकेएम ''बी'' में कुल .114 हैक्टेयर मौके पर चालू रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाकर स्वीकृत शुदा रास्ता की भूमि सम्बन्धित काश्तकार के खाते में दर्ज करने के आदेश दिये, के विरुध्द इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है ।
2. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोन्डेंट तहसीलदार (राजस्व) घड़साना ने पत्रांक 1755 दिनांक 21–11–17 के संलग्न रिपोर्ट पटवारी हल्का, मौका नक्शा मय जमाबन्दी प्रस्तुत कर उपखण्ड अधिकारी, घड़साना को निवेदन किया कि रिपोर्ट पटवारी हल्का अनुसार चक 4 एस.के.एम''बी'' के प0नं0 148/54, 148/55, 148/49 के किला नं0 1,10,11,20,21 में रास्ता रिकॉर्ड में स्वीकृत है, लेकिन प0नं0 148/53 में रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में स्वीकृत नहीं है, जबकि मौके पर रास्ता चालू है । उक्त मुरब्बा में रास्ता स्वीकृत नहीं होने से काश्तकारों को ग्राम पंचायत मुख्यालय 6 एस.के.एम में आने जाने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है । अतः चक 4एसकेएम–बी के प0नं0 148/53 के किला नं0 1/0.013, 10/0.025, 11/0.025, 20/0.025, 21/0.026 कुल 0.114 हैक्टेयर रास्ता चालू होने से उक्त चालू रास्ता स्वीकृत किया जावे । उपखण्ड न्यायालय द्वारा तहसीलदार घड़साना का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर चक 4 एसकेएम''बी' के पत्थर नं0 148/53 के किला नं0 1 में 0.013, 10 में 0.025, 11 में 0.025, 20 में 0.025 व 21 में 0.026 कुल .114 हैक्टेयर मौके पर चालू रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने के आदेश दिये । उपखण्ड न्यायालय घड़साना के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.11.17 के विरुध्द अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है ।
3. उक्त अपील प्रथमतः न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जो क्षेत्राधिकार नहीं होने से अपीलान्ट को लौटाये जाने पर अपीलान्ट द्वारा मूल अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

रिकार्ड तलब कर प्राप्त किया गया । अपील में अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गयी ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमो के कथन को दोहराते हुए अपनी बहस में बताया कि उपखण्ड न्यायालय, घड़साना द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.11.17 एक पक्षीय रुप से पारित किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी भी पक्षकार द्वारा रास्ता स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है, बल्कि पटवारी द्वारा रास्ता स्वीकृति का प्रस्ताव तहसीलदार को प्रस्तुत किया तथा तहसीलदार द्वारा सीधे ही दिनांक 21.11.17 को अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी प्रस्ताव के औचित्य की जांच किये विधि विरुध्द तरीके से रास्ता स्वीकृत कर दिया । अभिभाषक अपीलान्ट ने आगे अपनी बहस में बताया कि अपीलान्टा की खातेदारी भूमि में रास्ता स्वीकृत करने से पूर्व अपीलार्थिया को नोटिस अथवा सूचना दिया जाना आज्ञापक था । किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार के प्रतिवेदन दिनांक 21.11.17 पर सीधे ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो निरस्ति योग्य है । यह कि प्रश्नगत कृषि भूमि चक 4 एस.के.एम (बी) के पत्थर नं0 148/53 की 2.138 हैक्टेयर कृषि भूमि अपीलार्थीया का खातेदारी कृषि भूमि है, जो अन्तिम छोर पर नहर के साथ चिपती हुई है । अपीलार्थीया पत्थर नं0 148/54 के किला नं0 1 पर पहुंच कर अपनी खातदारी कृषि भूमि के किला नं0 21 में प्रवेश करती है, जिससे आगे किसी भी खातेदार की कृषि भूमि नहीं होने से रास्ता की कतई आवश्यकता नहीं है । यह कि ग्राम पंचायत मुख्यालय तक पहुंचने हेतु वैकल्पिक पक्की सड़क पूर्व में ही मौजूद है, जिसका उपयोग व उपभोग ग्रामीण कर रहे हैं । महज अपीलार्थी को तंग व परेशान करने की गर्ज से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। यह कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी सवप्रथम दिनांक 5.9.2018 को हल्का पटवारी से उस समय हुई जब वह मौके पर रास्ता खुलवाने आया । इस पर अपीलार्थीया ने दिनांक 6.9.2018 को अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जो बाद तैयारी दिनांक 10.9.18 को नकल प्राप्त होने पर धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपीलाधीन आदेश की जानकारी से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की गयी है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.11.17 निरस्त फरमाया जावे ।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि चक 4 एसकेएम''बी'' का प0नं0 148/53 के किला नं0 1,10,11,2.,21 में रास्ता स्वीकृत नहीं है, जबकि मौके पर रास्ता चालू है । राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता स्वीकृत नहीं होने से काश्तकारों को ग्राम पंचायत मुख्यालय 6एसकेएम में आने–जाने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है । जबकि चक मौजीज व्यक्तियों के अनुसार पुराना रास्ता है, तथा मौके पर 20–25 वर्षो से रास्ता चालू है । तहसीलदार, घड़साना के प्रस्ताव पर उप खण्ड न्यायालय द्वारा नियमानुसार ही रास्ता स्वीकृत किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे ।

6. हमने उभय पक्ष की बहस को मध्यजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । प्रकरण अनुसार रेस्पोन्डेंट तहसीलदार (राजस्व) घड़साना के पत्र दिनांक 21–11–17 के संलग्न रिपोर्ट पटवारी हल्का, मौका नक्शा मय जमाबन्दी के चक 4 एसकेएम. ''बी'' के पत्थर नं0 148/53 के किला नं0 1,10,11,20,21 में .114 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता जो मौके पर चालू है, को राजस्व रिकॉर्ड में स्वीकृत करवाने के प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी, घड़साना को प्रस्तुत किया जाने पर उपखण्ड न्यायालय घड़साना द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दिनांक 27.11.17 को आदेश पारित कर चक 4 एसकेएम''बी'' के पत्थर नं0 148/53 के किला नं0 1 में 0.013, 10 में 0.025, 11 में 0.025, 20 में 0. 025 व 21 में 0.026 कुल .114 हैक्टेयर मौके पर चालू रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत करने का आदेश दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है ।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

7. अपीलान्ट द्वारा यह अपील उपखण्ड न्यायालय घड़साना के अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.11.17 से व्यथित होकर दिनाक 12.9.2018 को यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है। भू–अभिलेख अधिकारी के आदेश के विरुध्द इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु 60 दिवस की अवधि निर्धारित है, जिसके अनुसार 20.1.2018 तक अपील प्रस्तुत करने का समय था । परन्तु अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील 225 दिवस विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है । अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम् के प्रार्थना एवं शपथ पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शाये हैं, उन्हें सही मानते हुए न्याय हित में यह अपील अपीलान्ट मियाद में शुमार की जाती है ।

8- हमने अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपील में किये गये कथन के सम्बन्ध में तहसीलदार घड़साना द्वारा चक 4एसकेएम–बी के मु0नं0 148/53 के कि0नं0 1,10,11,20,21 में चालू रास्ता को स्वीकृत करवाने हेतु उपखण्ड अधिकारी, घड़साना को भिजवाये गये प्रस्ताव दिनांक 21.11.17, रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 14.11.2017 एवं नकल नक्शा चक 4एसकेएमडी मु0नं0 148/53, 148/54, 148/55, 148/56, 149/49 एवम् पत्थर नं0 148/53 की जमाबन्दी सम्वत 2068–2071 का अवलोकन किया । तहसीलदार, घड़साना द्वारा उपखण्ड न्यायालय को प्रेषित किये गये प्रस्ताव अनुसार चक 4एसकेएम''बी'' के पत्थर नं0 148/53 के किला नं0 1,10,11,20,21 में रास्ता स्वीकृत नहीं है, जबकि चक के माजीज व्यक्तियों के अनुसार लगभग 20–25 वर्षो से रास्ता मौके पर चालू है । रिपोर्ट पटवारी में यह भी बताया गया है कि आगे के पत्थर नं0 148/54, 148/55, 148/56 व 149/49 के कि0नं0 1,10,11,20,21 में रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में स्वीकृत है, लेकिन पत्थर नं0 148/53 में राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता स्वीकृत नहीं है, जिससे काश्तकारों को ग्राम पंचायत मुख्यालय 6 एस.के.एम में आने जाने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है । प्रकरण में उपखण्ड न्यायालय द्वारा चक 4एसकेएम–बी के मु0नं0 148/53 के कि0नं0 1 में 0.013, 10 में 0.025, 11 में 0.025, 20 में 0.025 व 21 में 0.026 कुल . 114 हैक्टेयर रास्ता नजरी नक्शा के अनुसार इस आधार पर स्वीकृत किया गया है कि उक्त रास्ता 20–25 वर्ष से चालू सार्वजनिक रास्ता है, उक्त रास्ता स्वीकृत कर दिया जाता है तो वह पूर्व में स्वीकृत रास्ता से जुड़ जाता है व नहर तक जाता है । उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में स्वीकृत नहीं होने से काश्तकारों को ग्राम पंचायत मुख्यालय 6एसकेएम में आने–जाने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रकरण में उपखण्ड न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.11.17 द्वारा जो रास्ता स्वीकृत किया गया है, वह भू–अभिलेख अधिकारी की हैसियत से राजस्व (ग्रुप–6)विभाग, जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.3(2) राज–6 /2003/पार्ट दिनांक 10.8.16 जिसमें रास्ते सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण करने सम्बन्धी निर्देश प्राप्त है, की पालना एवम् सार्वजनिक हित को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद का आदेश दिया गया है । हम अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते हैं । अतः उपखण्ड अधिकारी घड़साना द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.11.17 यथावत रखते हुए अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

9- तद्नुसार अपील अपीलान्ट निर्णीत शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 4.2.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
सम्भागीय आयुक्त
बीकानेर